निरीक्षण प्रतिवेदन

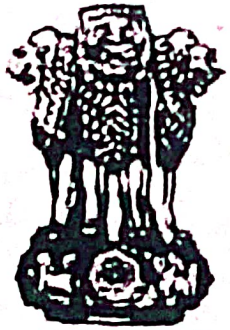

सत्यमेव जयते

थाना कार्यालय : लखनौर

निरीक्षण की तिथि : 23.10.2002

डा0 बी0 राजेन्दर
भा0 प्र0 से0
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 23-10-2002 को लखनौर थाना का किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

लखनौर थाना झंझारपुर-मधेपुर पी० डब्लू० डी० मुख्य मार्ग पर जिला मुख्यालय से लगभग 52 कि०मी० की दूरीपर अवस्थित है । यह मधेपुर थाना का सहायक थाना है । बताया गया कि सहायक थाना के रूप में वर्ष 1982 से कार्यरत है । थाना प्रभारी ने बताया कि इससे पूर्व ओ०पी० के रूप में एक स्कूल में चलता था । विधि-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के पश्चात् यहाँ थाना स्थापित किया गया । इस थाना का सृजन किस अधिसूचना संख्या से हुआ है के संबंध में पूछने पर बताया गया कि इसकी कोई सूचना इस थाना में उपलब्ध नहीं है, जो चिन्ता की बात है ।इतना पुराना थाना होने के बावजूद भी किस अधिसूचना से इस थाना का सृजन हुआ, इसकी जानकारी थाना प्रभारी को नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से अधिसूचना की प्रति प्राप्त कर संधारित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । यदि मुख्यालय में अधिसूचना की प्रति प्राप्त नहीं होती है , तो आरक्षी महानिरीक्षक, कार्यालय दरभंगा से अथवा गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करें ।

निरीक्षण के समय अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर अंचल उपस्थित थे । बताया गया कि इस थाना के उत्तर में झंझारपुर आर०एस० शिविर थाना क्षेत्र, दक्षिण में दरभंगा जिला सकतपुर थाना, पूरब में मधेपुर थाना तथा पश्चिम में आर०एस०शिविर थाना का क्षेत्र पड़ता है । लखनौर थाना से 7 कि०मी० की दूरी पर झंझारपुर रेलवे स्टेशन है । इस थाना के दक्षिण में कमला नदी है । इस थाना के अन्तर्गत 10 पंचायत एवं 3 सर्किल हैं । इस थाना के अन्तर्गत कोई पोकेट नहीं है ।

2- भवन :-

लखनौर थाना का अपना भवन नहीं है । वर्त्तमान में कोशी परियोजना के भवन में कार्यरत है । पदाधिकारियों एवं कर्मियों को रहने हेतु आवास है, परन्तु मरम्मति के अभाव में वर्षाति में चूता है । थाना में महिला हाजत नहीं है । थाना के एक कमरे को हाजत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । थाना भवन की स्थिति अत्यन्त जर्जर है, जिसमें मरम्मति कराने की आवश्यकता है । कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधुबनी को आदेश दिया जाताहै कि थाना भवन की मरम्मति हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भवन की मरम्मति हेतु संबंधित विभाग से पत्राचार करने का कष्ट करें ।

लगातार....2/-

भवन के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि यहाँ स्थान की बहुत कमी है, जिसके फलस्वरूप कार्य करने में कठिनाई हो रही है। पृच्छे विकास पदाधिकारी, लखनौर, जो निरीक्षण के क्रम में उपस्थित थे, ने बताया कि थाना भवन की जमीन अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव जिला मुख्यालय को भेजा गया है। थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला राजस्व, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर थाना भवन के जमीन अधिग्रहण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर वस्तुस्थिति से अवगत करावें। थाना में गाड़ी उपलब्ध है, जिसका नं0- बी0आर0-32-4647 है। थाना में निजी दूरभाष संख्या-22849 लगा हुआ है।

3- प्रभार :-

श्री एम0 दुड्ड, अवर निरीक्षक दिनांक 22-5-2002 से थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। इनके पूर्व अ0नि0 सुशील कुमार यादव थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। अधोहस्ताक्षरी के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार इस थाना में पदस्थापित थाना प्रभारियों का पदस्थापन सूची तैयार की गयी है। पदस्थापन सूची का बोर्ड थाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ट में टंगा हुआ पाया गया। नामपट्ट के अनुसार थाना प्रभारियों का पदस्थापन की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	संवर्ग	कार्य अवधि
1-	शिवनारायण मल्लिक	अवर निरीक्षक	
2-	आर0एस0 राय	अवर निरीक्षक	से 17-9-1983 तक।
3-	मो0 जलील	सहायक अवर निरीक्षक	17-9-1983 से 17-10-1983 तक।
4-	के0पी0 सिंह	अवर निरीक्षक	17-10-1983 से 22-6-1984 तक एवं पुनः 23-6-1984 से 27-3-1986 तक।
5-	एल0बी0प्रसाद	अवर निरीक्षक	27-3-1986 से 10-1-1987 तक।
6-	एम0एन0 सिंह	अवर निरीक्षक	10-1-1987 से 2-2-1988 तक।
7-	एम0 रहमान	अवर निरीक्षक	10-2-1988 से 24-7-1990 तक।
8-	सी0के0 सिंह	अवर निरीक्षक	24-7-1990 से 2-10-1990 तक।
9-	एम0 रहमान	अवर निरीक्षक	2-10-1990 से 18-12-1990 तक।
10-	सी0के0 सिंह	अवर निरीक्षक	18-12-1990 से 20-11-1992 तक।
11-	पी0 के0 गुप्ता	अवर निरीक्षक	20-11-1992 से 4-5-1993 तक।

लगातार...3/-

12-	एस0के0गुप्ता	अवर निरीक्षक	7-5-1993 से 10-4-1994 तक ।
13-	एम0पी0सिंह	अवर निरीक्षक	17-4-1994 से 11-6-1995 तक ।
14-	आर0एन0 साह	अवर निरीक्षक	11-6-1995 से 4-4-1998 तक ।
15-	आई0 अहमद	अवर निरीक्षक	4-4-1998 से 9-2-1999 तक ।
16-	एस0 के0 यादव	अवर निरीक्षक	9-2-1999 से 22-5-2002 तक ।
17-	एम0 टुडू	अवर निरीक्षक	22-5-2002 से अद्यतन ।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि क्रमांक -1 एवं 2 के कार्यविधि के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबंध में आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सूचना प्राप्त कर नामपट्ट पर कार्यविधि का उल्लेख करना सुनिश्चित करें ।

4- स्थापना :-

लखनौर थाना में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	अवर निरीक्षक	2	1	1	-
2-	सहायक अवर निरीक्षक	2	2	x	-
3-	हवलदार	1	x	1	-
4-	आरक्षी	6	4	2	-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अवर निरीक्षक का एक पद, हवलदार का एक पद एवं आरक्षी का दो पद रिक्त है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी कृपया समीक्षा कर रिक्त स्थानों के विरूद्ध पदस्थापन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

स्वीकृत बल के विरूद्ध पदाधिकारियों/आरक्षियों के पदस्थापन की स्थिति निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पद	नाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1-	अवर निरीक्षक	एम0 टुडू	23-05-2002	ग्राम-टोला-थाना-राजनगर, जिला-सराईटोला, झारखंड ।
2-	सहायक अवर निरीक्षक	रामजी प्र0श्रीवास्तव	26-09-2001	ग्राम-खैतवारपुर पकड़ी, थाना-लालगंज जिला-वैशाली ।

लगातार..4/-

3-	सहायक अवर निरीक्षक	हरिशंकर राम	04-02-2001	ग्राम-बड़का लोहर, थाना-बड़हरा, जिला-भोजपुर ।
4-	साक्षर आरक्षी-174	भोला महतो	05-07-2001	सा0- सादिकपुर, थाना-बाढ़, जिला-पटना ।
5-	आरक्षी-454	शिवनाथ सिंह	13-8-2000	सा0- धोवोली, थाना-विदुपुर, जिला-वैशाली ।
6-	आरक्षी -84	राम विलास पासवान	05-05-2002	सा0- केशोपुर, थाना-तकरा, जिला-मुजफ्फरपुर ।
7-	आरक्षी - 215	शिव राय	27-09-2002	ग्राम-मनेर ब्लॉक, माधोपुर चौरासी, थाना-मनेर, जिला-पटना ।

5- पूर्व निरीक्षण :-

लखनौर थाना का पूर्व में निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	30-03-1996	18-5-1996	
2-	श्री राम लखन प्रसाद	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	22-01-1997	09-2-1997	30-09-1997
3-	श्री एस0 आर0 खाँ	अनुमण्डल आरक्षी पदा0, झंझारपुर ।	22-03-1997	29-04-1997	30-09-1997
4-	श्री एस0 आर0 खाँ	अनुमण्डल आरक्षी पदा0, झंझारपुर ।	01-12-1997	10-01-1998	13-01-1998
5-	श्री शहाब अख्तर	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	05-02-1998	07-02-1998	28-11-1998
6-	श्री एस0 आर0खाँ	अनुमण्डल आरक्षी पदा0, झंझारपुर ।	30-11-1998	17-12-1998	15-05-1999
7-	श्री मो0 इस्लाम	अनुमण्डल आरक्षी पदा0, झंझारपुर ।	26-07-1999	10-08-1999	15-09-2000
8-	श्री उमाशंकर प्रसाद	अनुमण्डल आरक्षी पदा0, झंझारपुर ।	28-11-2000	08-12-2000	31-12-2000
9-	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर	22-03-2001	22-03-2001	16-10-2002
10-	श्री विमलेश प्रसाद सिन्हा	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	15-11-2001	15-12-2001	16-10-2002
11-	श्री अमजद अली	अनुमण्डल आरक्षी पदा0, झंझारपुर ।	31-03-2002	21-06-2002	20-10-2002

लगातार...5/-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1996 से विभिन्न निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस थाना का किये गये निरीक्षण का ब्यौरा उपलब्ध करायागया है, जबकि यह थाना वर्ष 1982 से ही कार्यरत है । थाना प्रभारी से वर्ष 1996 से पूर्व की निरीक्षण टिप्पणी की मांग करने पर उपलब्ध नहीं कराया गया । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इससे पूर्व का निरीक्षण टिप्पणी थाना में उपलब्ध नहीं है, जो आश्चर्य का विषय है । उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि इस थाना का पूर्व में किसी जिला पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी द्वारा वर्ष 2001 के बाद एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर द्वारा वर्ष 2001 के बाद इस थाना का निरीक्षण नहीं किया गया है । सभी निरीक्षी पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वर्ष में कम से कम एक बार अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले थाना का निरीक्षण अवश्य सुनिश्चित करें ।

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 32 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि " अनुमण्डल पदाधिकारियों को आरक्षी के संबंध में वही सब शक्तियाँ प्राप्त है, जो अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों को है । हर अनुमण्डल पदाधिकारी का कर्त्तव्य है कि वे अपने अधिक्षेत्र के भीतर सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण करें " । अतएव, अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानों का वार्षिक निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित रक्षी संचिका का अवलोकन किया । प्रायः सभी निरीक्षी पदाधिकारियों का निरीक्षण टिप्पणी एक ही पंजी में संधारित है एवं अनुपालन भी उसी में साँटा गया है । यह प्रथा ठीक नहीं है । नियमानुसार सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए अलग-अलग रक्षी संचिका का संधारण होना चाहिए एवं उसी में संबंधित पदाधिकारी का निरीक्षण टिप्पणी एवं अनुपालन प्रतिवेदन चिपकाना चाहिए । निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मात्र तीन निरीक्षी पदाधिकारियों के निरीक्षण का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर भेजा गया है, अन्य पदाधिकारियों द्वारा इस थाना का किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में विलम्ब किया गया है । नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जानाचाहिए । यदि अन्तिम अनुपालन प्रतिवेदन भेजने में कठिनाई हो तो अन्तरिम अनुपालन प्रतिवेदन तो अवश्य भेज दिया जाना चाहिए । थानाप्रभारी को निर्देश दिया गया कि निरीक्षण टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन समय-सीमा के अन्दर भेजना सुनिश्चित करें । अगर निर्धारित समय-सीमा के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है, तो निरीक्षण का कोई अर्थ नहीं रह जाताहै ।

लगातार..6/-

निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित अनुमालन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमालन प्रतिवेदन में पत्रांक/दिनांक उल्लेख नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में इसका अनुमालन सुनिश्चित करें ।

थाना दैनिकी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 116 के तहत फार्म सं0-15 में थाना दैनिकी संधारित किया जाना है । इस थाना में यह सही ढंग से संधारित किया जा रहा है, जो दो प्रतियों में है । कार्बन प्रति प्रतिदिन आरक्षी निरीक्षक के पास भेज दी जाती है । निरीक्षक द्वारा एक महीने का थाना दैनिकी संकलित कर महीने के अंतिम दिन आरक्षी अधीक्षक को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेज दी है । थाना दैनिकी में हर दो घंटे की महत्वपूर्ण सूचनाओं को अंकित किया जाता है । यह कार्य प्रतिदिन 8-00 बजे पूर्वाह्न से होकर अगले दिन 8-00 बजे पूर्वाह्न तक अर्थात 24 घंटे के चक्र में चलता रहता है । थाना दैनिकी में थाना क्षेत्र में जो भी घटनाएँ होती है, उसको प्रविष्टि की जाती है । इसके अतिरिक्त थाना के पदाधिकारी जब बाहर जाते हैं, उक्त तिथि को कोई हाजत में था नहीं, उक्त तिथि में मौसम कैसा रहा, थाना में कितनी राशि नगद रूप में है, कोई विदेशी थाना क्षेत्र में आया अथवा नहीं आदि की प्रविष्टि की जाती है । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर द्वारा बताया गया कि मानवाधिकार आयोग के तहत जो भी थाना हाजत में आता है, उसका इन्द्राज थाना दैनिकी में किया जाता है । थाना परिसर में विभागीय झगड़ा से संबंधित कोई भी थाना दैनिकी में दर्ज नहीं किया जाता है । उन्होंने बताया कि यदि 10-00 बजे रात्रि से 6-00 बजे सुबह तक कोई घटना होती है, तो थाना दैनिकी में लिखा जायगा कि उक्त अवधि में कोई घटना नहीं घटी है, फलस्वरूप इसमें दर्ज नहीं किया गया । थाना की भौलूम 12033 के क्रमांक 120320। से 1203300 तक का अवलोकन किया । थाना दैनिकी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है इसमें कहीं-कहीं अपलेखन किया गया है, परन्तु किसी पदाधिकारी का लघु हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है । थाना को निर्देश दिया जाता है कि यदि थाना दैनिकी में कहीं अपलेखन किया जाता है, तो उसके बगल में अवश्य लघु हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें ।

थाना दैनिकी के पृष्ट संख्या 1203266 पर वर्णित थाना दैनिकी संख्या 313/2002 दिनांक 20-10-2002 का अवलोकन । इसमें उल्लेख किया गया है कि इस समय लालो देवी जौजे स्व0 सुकन चौपाल, सा0 औक्सी, थाना-लखनौर, जिला-मधुबनी का एक

लगातार...7/-

लिखित आवेदन दिये, जिसके आधार पर लखनौर थाना काण्ड संख्या 246/2002 दिनांक 20-10-2002 धारा 447/341/323/379/34 भा० ०वि० के अभियुक्त साहेथ चौपाल, महवा चौपाल पे० स्व० सकुन चौपाल, छेदी चौपाल पे० महावीर चौपाल, राम चौपाल पे० स्व० घुरन ौपाल, सभी साकिनान औक्सी, थाना-लखनौर, जिला-मधुबनी के विरूद्ध कायम किया । काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है । बताया गया कि ाना दैनिकी को थाना का दर्पण (Mirror of PoliceStation) कहा जाताहै ।

- फिरारी पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-118 के तहत फार्म-16 में फिरारी पंजी संधारित करनाहै, जो विहित प्रपत्र के अभाव में ादे पंजी में संधारित है । यह दो भाग में होताहै । भाग-1 में अपने थाना के अपराधकर्मी का नाम एवं भाग-11 में दूसरे थाना के पराधकर्मी का नाम अंकित किया जाता है । भाग-1 में दो फिरारी हैं । भाग -1 में फिरारी रामेश्वर यादव , सा०-गंगापुर एवं यौगी ामत सा०-बोदई का नाम अंकित है । थाना प्रभारी ने बताया कि रामेश्वरयादव तीन पूर्व मर गया है एवं यौगी कामत, न्यायालय में ात्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त है, जिसका उल्लेख पंजी में किया गया है । भाग-2 में कोई फिरारी नहीं है । पंजी के अवलोकन से पष्ट होता है कि पंजी का मिलान दिनांक 22-10-2002 को डी०सी०बी० शाखा, मधुबनी से कराया गया है । थाना प्रभारी को र्देश दिया जाताहै कि रामेश्वर यादव, जिनकी मृत्यु हो गयी है का नाम फिरारी पंजी से हटाने हेतु प्रस्ताव आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी ें अविलम्ब भेजा जाय ।

- गिरफ्तार अपराधियों की पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-171 के तहत फार्म संख्या 31-ए में इस पंजी का संधारण किया जाना है । इस थाना में ई पंजी संधारित नहीं किया जा रहा है , जो गम्भीर विषय है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का संधारण विलम्ब करना सुनिश्चित करें ।

- रिटर्न ऑफ अनएक्सक्यूटेड वारंट :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम-109 के तहत फार्म सं०- 50 में इस पंजी को संधारित करना है, जो संधारित है । इस पंजी अनुसार दिनांक 23-10-2002 तक कुल 38 वारंट एवं 4 कुर्की तामिला हेतु लंवित है । लंवित वारंट/कुर्की की विवरणी निम्नवत है :-

लगातार...8/-

...से लंबित		वर्तमान माह में प्राप्त		वर्तमान माह में निष्पादित		कुल लंबित	
...रंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की	वारंट	कुर्की
34	4	20	×	16	×	38	4

पदाधिकारीवार लंबित वारंट/कुर्की को विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/पदनाम		वारंट	कुर्की
1-	अ0नि0 एम0 टुडू	-	20	×
2-	स0अ0नि0 रामजी श्रीवास्तव	-	3	×
3-	स0अ0नि0 हरिशंकर राम	-	12	×
4-	अ0नि0 एस0 के यादव	-	3	4
		कुल :-	38	4

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी भी 38 वारंट एवं 4 कुर्की निष्पादन हेतु लंबित हैं, जो गम्भीर ...षय है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सभी लंबित वारंट/कुर्की का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर कर अनुपालन ...तिवेदन भेजें ।

...0-रजिस्टर ऑफ आर्म्स लाईसेंस :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 130 के तहत फार्म संख्या -25 में यह पंजी संधारित है । इस पंजी का अवलोकन किया ...या । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 22-10-2002 को जिला शस्त्र पंजी से मिलान किया गया है । शस्त्र पंजी के ...नुसार इस थाना के अन्तर्गत कुल 28(अठाईस) शस्त्र अनुज्ञाप्ति है, जिसकी विवरणी निम्नप्रकार है :-

(क) डी0बी0बी0एल0	-	24
(ख) एस0बी0बी0एल0	-	03
(ग) रिवाल्वर	-	01
	कुल	28

लगातार....9/-

11- हाजत पंजी :-

बिहार पुलिस हस्तक के भोलुम-11 के नियम 239 ए. फार्म संख्या-43 ए. में यह पंजी तैयारित करना है, किन्तु इस थाना में इसे सादे पंजी में तैयारित किया जा रहा है। थाना प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर एक सप्ताह के अन्दर पंजी तैयारित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दें एवं यह सुनिश्चित करें कि सभी कॉलमों को भरा जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि इस पंजी में थाने में गिरफ्तार कर लाये गये व्यक्तियों का नाम, तिथि, एवं न्यायालय अग्रसारण एवं जमानत पर मुक्त करने का उल्लेख किया जाता है। यह पंजी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। यदि इस पंजी का तैयारण सही ढंग से नहीं किया जाता है, कॉलम खाली छोड़े जाते हैं, तथा यदि संयोगवश बन्दी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह माना जायगा कि थाना प्रभारी द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई है। यह पंजी उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा न्यायालय द्वारा किसी मामले में इस पंजी से संबंधित कोई प्रतिवेदन की मांग की जाती है। थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि इस पंजी का तैयारण नियमानुसार करें एवं पंजी अद्यतन रखें।

12- तख्ती नं0-1 :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 76 के तहत तख्तियों को तैयारित करना है। तख्ती नं0-1 सरकारी सम्पत्तियों से संबंधित होती है। तख्ती नं0-1 का अवलोकन किया। इसका अन्तिम मिलान आरक्षी केन्द्र मधुबनी के वितरण पंजी से दिनांक 22-10-2002 को किया गया है। तख्ती के अनुसार कुल 52 अदद सामान इस थाना में हैं।

13- तख्ती नं0-2 :-

थाना में पदस्थापित हर पंक्ति के पदाधिकारी एवं कर्मियों का नाम, पता, वेतनमान, पूर्व पदस्थापन स्थान एवं इस थाना में पदस्थापन की तिथि इस तख्ती में अंकित रहती है, जो अद्यतन है।

14- तख्ती नं0-3 :-

इस तख्ती में विस्फोटक अधिनियम के अधीन अनुज्ञाप्ति प्राप्त कारखाने, भंडार और दूकानों को सूची रखी जाती है।

लगातार....10/-

बताया गया कि विस्फोटक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त भंडार का कोई मामला इस थाना में नहीं है ।

15- तख्ती नं0-4 :-

इस तख्ती में आयुध, गोला बारूद भंडार तथा कारखाने की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में कोई भी आयुध फैक्ट्री या भंडार नहीं है ।

16- तख्ती नं0-5 :-

इस तख्ती में विष अधिनियम के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में विष अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञाप्ति प्राप्त कोई दूकान नहीं है ।

17- तख्ती नं0-6 :-

इस तख्ती में उत्पाद शुल्क और अफीम अधिनियमों के अधीन अनुज्ञा-पत्र प्राप्त दूकानों की सूची रखी जाती है । तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तमुरिया स्टेशन पर एक मात्र लाईसेन्सी देशी शराब की दूकान है, जिसकी अनुज्ञाप्ति संख्या- । तख्ती में अनुज्ञाप्ति की छायाप्रति चिपकाया नहीं गया है, जिसे चिपकाने का निर्देश दिया गया । थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में अधीक्षक उत्पाद, मधुबनी से सम्पर्क स्थापित कर अनुपालन सुनिश्चित करें ।

18- तख्ती नं0- 7:-

इस तख्ती में लंबित अन्वेषण कांड से संबंधित सूची रखी जाती है, जो अद्यतन है ।

19- तख्ती नं0-8 :-

इस तख्ती में जूआ, गेमिंग सेन्टर आदि के संबंध में सूचना अंकित की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि इस थाना क्षेत्र में गेमिंग एवं जुआ का कोई अड्डा नहीं है ।

20- तख्ती नं0-9 :-

थाना क्षेत्र में लगने वाले हाट, मेला की सूचना इस तख्ती में अंकित की जाती है । तख्ती अद्यतन है । थाना प्रभारी ने

लगातार... 11/-

बताया कि इस थाना क्षेत्र में हाट ग्राम-लौफा, लखनौर, भेवी, गंगापुर में लगता है । महाशिवरात्रि के समय ग्राम-औक्सी में मेलालगता है। परन्तु निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में हाट एवं मेला किस-किस दिन लगता है, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उक्त प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

21- तख्ती नं0- 10:-

इस तख्ती में थाना क्षेत्र के पंचायतों के मुखियों और ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं प्रखंड समितियों के अध्यक्षों का नाम लिखे जाते हैं । तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तख्ती में दर्ज सूचना अधूरी है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि पंचायत समिति के सदस्यों/पार्षदों/उप प्रमुखों का नाम भी इसमें दर्ज करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । इसके अतिरिक्त उक्त सूची में थानाक्षेत्र के विधायक/पार्षद/सांसदों का भी नाम अंकित करें ।

22- तख्ती नं0-11 :-

इस तख्ती में नियम 152 के तहत उन अधिकारियों एवं आरक्षी थानों को सूची रहती है जिन्हें हाक-डाक सूचना भेजी जाती है । तख्तीके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को एक भी पत्र नहीं भेजा गया है । क्य थाना से जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को कोईपत्र नहीं भेजा जाता है ? थाना प्रभारी स्थिति स्पष्ट करें ।

23- तख्ती नं0-12 :-

इस तख्ती में दागी व्यक्तियों की सूची रखी जाती है । इस तख्ती के अनुसार इस थाना में कुल दागियों को संख्या संधारित है, परन्तु श्रेणी ए, श्रेणी-बी एवं श्रेणी-सी में कितने दागी हैं, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जो चिन्ताजनक है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर वांछित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साथ ही सभी दागियों के विरूद्ध कड़ी निगरानी रखी जाय ।

24- तख्ती नं0- 13 :-

इस तख्ती में सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची रखी जाती है । तख्ती का अवलोकन किया गया । परन्तु सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि

लगातार...12/-

सीमावर्त्ती थानों के सक्रिय अपराधियों की सूची एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं उन पर कड़ी निगरानी भी रखें ।

25- तख्ती नं0- 14 :-

इस तख्ती में अधिकारियों को भेजी जाने वाली विवरणियाँ रखी जाती है । तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला दण्डाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी को इस थाना से कोई प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है । जिला स्तर पर आयोजित जनता दरबार में बहुत से मामले थाने से ही संबंधित होते हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें एवं भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें ।

26- तख्ती नं0-15 :-

इस तख्ती में थाना का मानचित्र रखा जाता है । मानचित्र संधारित है एवं थाना प्रभारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में दीवाल पर टंगा हुआ है। बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 131 के अनुसार रखे जाने वाले अपराध मानचित्र के अतिरिक्त मजबूत किरमिची अस्तर वाला एक छपा हुआ , थानामानचित्र भी टंगा रहेगा, जिस पर भट्ठियाँ, शराब की दूकानें, सार्वजनिक घाट, चौकीदारी यूनियन को सीमाएँ, सीमावर्त्ती आरक्षी थानों के चित्र काट-काटकर चिपकाये जायेंगे, नेपाल या अन्य देश के सह-सीमस्थ हों, तो इन देशों के सह-सीमस्त थानों का मानचित्र चिपकाये जायेंगे । किन्तु इस अनुदेश का अनुपालन नहीं किया गया है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी हस्तक के नियम-131 के तहत एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन भेजें ।

27- तख्ती नं0-16 :-

इस तख्ती में सरकारी अधिसूचना की प्रति, थाना नं0, गाँवों की संख्या, आबादी, क्षेत्रफल आदि रखी जाती है । इस तख्ती के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसमें मात्र गाँव का नाम, थाना नं0 अंकित किया गया है । अन्य सूचनाएँ नहीं है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, लखनौर से सम्पर्क स्थापित कर वाँछित सूचनाएँ अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

लगातार...13/-

28- सब इन्सपेक्टर नोटबुक :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 357 के तहत फार्म संख्या -75 बी0 में सब इन्सपेक्टर नोट बुक संधारित करना है । थाना प्रभारी द्वारा यह नोट बुक संधारित नहीं किया जा रहा है, बल्कि निजी डायरी में संधारित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से विहित प्रपत्र प्राप्त कर संधारित करना सुनिश्चित करें ।

29- खतियान इन्सपेक्सन रजिस्टर पार्ट-। :-

यह विहित प्रपत्र में संधारित है । इसमें 64 कॉलम है एवं अद्यतन है । यह आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है ।

30- खतियान इन्सपेक्शन रजिस्टर पार्ट-।। :-

बताया गया कि यह विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें मासिक रूप से पदाधिकारीवार केस रिपोर्ट, अनुसंधानकर्त्ता का नाम अभिलेख का निष्पादन किस वर्ष करना है आदि आरक्षी निरीक्षक द्वारा लिखा जाता है । आरक्षी निरीक्षक को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में विस्तृत विवरणी एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

31- डी0 डी0 पार्ट-। :-

इसमें दागी व्यक्तियों(डोसियर्स) की सूची रखी जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि इस थाना में कुल 16 दागी व्यक्ति निगरानी में रखे गये हैं, जिसका इन्डेक्स टू डोसियर पंजी संधारित है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि श्रेणी ए में 14, श्रेणी बी में 4 तथा श्रेणी सी में शून्य दागी हैं । सभी दागियों का अलग-अलग संचिका रखा गया है, जिसमें सामयिक जाँच टिप्पणी अंकित की जाती है । श्रेणी -ए में दागी संख्या ए/66 राजेन्द्र मल्लाह पे0 सोनाई मल्लाह, सा0-गुणाकरपुर को मृत्यु हो गयी है, जिसका नाम दागी पंजी से हटाने के लिए उचित माध्यम से आरक्षी अधीक्षक , मधुबनी को प्रस्ताव समर्पित किया गया है । इन्डेक्स टू0 डोसियर पंजी का मिलान आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के डी0सी0बी0 शाखा से 22-10-2002 को किया गया है । पंजी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आरक्षी निरीक्षक द्वारा वर्ष 2000 तक ही इसमें लिखा गया है । आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध है कि इस संबंध में आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर से स्पष्टीकरण पूछकर वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाय ।

लगातार...14/-

32- सी० डी० पार्ट-II :-

इस पंजी में सम्पत्ति से संबंधित अपराध के मामले दर्ज किये जाते हैं । जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित हो जाता है, तो उसे इस पंजी में सूचीबद्ध कर दिया जाता है । इसमें दूसरे थाना का केस लाल स्याही से एवं अपने थाना का केस काला स्याही से अंकित किया जाता है । पंजी का अवलोकन किया । पंजी में पृष्टों का सत्यापन नहीं है । प्रायः कमोवेश सभी पंजियों में पृष्टों का सत्यापन नहीं किया गया है, जो उचित नहीं है । थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना में संधारित सभी पंजियों में पृष्टों का सत्यापन कर पंजी के प्रथम पृष्ट पर अंकित करना सुनिश्चित करें । पंजी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंतिम प्रविष्टि 179 है, जो मेघपुर (लखनौर) थाना काण्ड संख्या 160/99 दिनांक 16-8-99 धारा 336 भा०द०वि० से संबंधित है । दूसरे थाना क्षेत्र के अपराधियों का अपराध निर्देशिका पत्र भेजकर वहाँ की अपराध-निर्देशिका भाग-2 का क्रमांक प्राप्त कर पंजी में प्रविष्टि किया गया है । यह पंजी भी वर्ष 2001 तक ही संधारित है । थाना प्रभारी अविलम्ब स्थिति स्पष्ट करें कि पंजी अद्यतन क्यों नहीं है ।

33- सी०डी०पार्ट- III :-

इस पंजी में थाना क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषयों पर यथा धार्मिक, कृषि, साम्प्रदायिक, भू-विवाद, राजनैतिक मामलों पर गोपनीय सूचनायें वर्षवार अंकित की जाती है । थाना प्रभारी ने बताया कि यह पंजी दो भाग संधारित होता है । भाग-I में थाना क्षेत्र में होने वाले उत्सव, पूजा एवं इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण के तौर-तरीके का उल्लेख किया जा रहा है । खण्ड-क दोहरा-2002 तक लिखा गया है । खण्ड-ख में यूनियनवार सम्पत्ति मूलक अपराध का उल्लेख किया जा रहा है । पंजी तृतीय त्रैमासिक तक लिखा हुआ है । तृतीय त्रैमासिक में तीनों सर्किल में सम्पत्ति मूलक का एक भी काण्ड प्रतिवेदित नहीं हुआ है ।

34- अल्फावेट अनुक्रमणी पंजी :-

यदि किसी व्यक्ति के चरित्र सत्यापन का मामला थाना में आता है, तो उसे अल्फावेट पंजी से नाम देखकर सी०डी० पार्ट-II से जानकारी ली जाती है । अल्फावेट पंजी में वैसे व्यक्तियों का नाम रहता है, जो किसी मामले में संलिप्त होते हैं । यह पंजी सी०डी०पार्ट-II में अंकित व्यक्तियों के आधार पर बनाई जाती है । थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि चरित्र सत्यापन

लगातार...15/-

से संबंधित कोई मामला लंवित नहीं है ।

35- एम0ओ0 रजिस्टर :-

बिहार आरक्षी हस्तक के नियम-357 के तहत फार्म 76 ए. में एम0ओ0 रजिस्टर संधारित है । इस रजिस्टर में अपराधियों के अपराध करने की शैली जैसे लूटपाट किया गयाअथवा नहीं, डंडा-लाठी से मारपीट किया गया या नहीं, उनके द्वारा जाते समय क्या-क्या बोला गया, आदि की प्रविष्टि की जाती है । पंजी का संधारण सही ढंग से किया जा रहा है ।

36- अप्राकृतिक मृत्यु :-

अप्राकृतिक मृत्यु पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । विगत पाँच वर्षों का अप्राकृतिक मृत्यु से संबंधित आँकड़ा निम्नवत है:-

वर्ष	आग में जलने से	पानी में डूबने से	पेड़ से गिरने से	फाँसी से	सर्पदंश से	विविध
1997	2	-	-	-	-	-
1998	-	-	-	-	-	1
1999	-	1	-	-	-	-
2000	-	2	-	1	-	2
2001	2	1	-	-	-	1
2002 दिनांक 22-10-2002 तक	1	-	-	-	-	2

लंवित अप्राकृतिक मृत्यु अभियोग से संबंधित विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	यू0डी0काण्ड संख्या	तिथि	अनुसंधान पदाधिकारी का नाम	लंवित का कारण
1-	यू0डी0काण्ड सं0 05/2000	19-12-2000	अ0नि0 सुशील कुमार यादव	भोसरा जाँच हेतु ।
2-	यू0डी0काण्ड सं0 01/2001	31-01-2001	अ0नि0 सुशील कुमार यादव	

लगातार....16/-

3-	यू0डी0कांड सं0-02/2001	12-03-2001	अ0नि0 सुशील कुमार यादव
4-	यू0डी0कांड सं0-03/2001	08-03-2001	स0अ0नि0 हरिशंकर राम
5-	यू0डी0कांड सं0-01/2002	28-02-2002	अ0नि0 सुशील कुमार यादव
6-	यू0डी0कंड संख्या-02/2002	16-07-2002	स0अ0नि0 आर0पी0श्रीवास्तव भी सरा जॉच हेतु ।

37- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की पंजी :-

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों की पंजी संधारित है । थाना प्रभारी द्वारा प्रतिवेदित उक्त अधिनियम के तहत वर्ष 1997 से दर्ज मामलों की अद्यतन स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	वर्ष	काण्ड संख्या एवं तिथि	धारा	अभ्युक्ति
1-	1997	01/97 दि0 03-01-97	341/323/354/504 भा0द0वि0 एवं 3(x) हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आरोप पत्र सं0-17/97 दिनांक 29-3-97 समर्पित ।
2-	1997	22/97 दि0 6-2-97	447/323/354/34 भा0द0वि0 एवं 3(x) हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आरोप पत्र सं0 27/97 दिनांक 04-06-97 समर्पित ।
3-	1997	36/97 दि0 08-02-1997	364/365/323/379/34 भा0द0वि0 एवं 3(x) हरिजन अत्याचार अधिनियम।	मिथ्या प्रतिवेदन सं0-08/97 दिनांक 12-04-97 समर्पित ।
4-	1999	19/99 दि0 01-02-1999	341/323/354/379/34 भा0द0वि0 एवं 3(1)(i) हरिजन अत्याचार अधिनियम।	आरोप पत्र सं0 10/99 दिनांक 08-5-99 समर्पित ।
5-	1999	245/99 दि0 14-12-99	341/323/324/354/504/34 भा0द0वि0 एवं 3(x) हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आरोप पत्र सं0 20/2000 दिनांक 29-05-2002 समर्पित ।
6-	2000	44/2000 दि0 20-03-2002	147, 148, 149, 341, 323, 324, 337, 436, 307, 504 भा0द0वि0 एवं 3(x) हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आरोप पत्र सं0 15/2000 दिनांक 28-06-2000 समर्पित ।
7-	2000	251/2000 दि0 3-12-2000	341/323/354/504/भा0द0वि0 एवं 3(x) हरिजन अत्याचार अधिनियम ।	आरोप पत्र सं0 55/2002 दिनांक

मधेपुर(लखनौर) थाना काण्ड संख्या 251/2000, दिनांक 3-12-2000 धारा 341, 323, 354, 504, भा0द0वि0 एवं 3(x) हरिजन

लगातार...17/-

अत्याचार अधिनियम का अवलोकन किया । इसमें ग्राम-देयाखरवार से वादिनी मुनो देवी जौजे स्व0 श्याम सहाय के फर्दबयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त(1) गुड्डु सिंह पे0 शिवनन्दन सिंह (2) नथुनी सिंह पे0 स्व0 पुकार सिंह (3) मननाथ सिंह पे0 स्व0 देव सिंह सभी साकिन देयाखरवार के विरुद्ध अंकित है । इस कांड में अनुसंधान पूर्ण कर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 55/2002 दिनांक 32.01.2002 समर्पित किया गया है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शिकायत/आवेदन पत्र प्राप्त होते ही त्वरित गति से कार्रवाई करें ताकि इस अधिनियम के बारे में आम लोगों को जानकारी मिल सके एवं पुलिसप्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े । जिला स्तर पर प्रत्येक बृहस्पतिवार को आयोजित जनता दरबार में अक्सर लोगों द्वारा शिकायत की जाती है कि थाना प्रभारी द्वारा उनका मामला दर्ज नहीं किया जाता है, उन्हें समुचित मदद नहीं की जाती है । विदित हो कि लखनौर थाना क्षेत्र अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं आये दिन विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से भूमिहीन एवं भूमिपतियों के बीच तनाव की सूचनाएँ मिलती रहती है । थाना प्रभारी इस ओर विशेष ध्यान देंगे ।

38- रजिस्टर ऑफ आर्म्स डिपोजिटेड इन पुलिस स्टेशन :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 325 के तहत फार्म-67 में यह पंजी संधारित करना है । इस थाना में कितने शस्त्र जमा हैं, इस संबंध में कोई प्रतिवेदन थाना प्रभारी द्वारा निरीक्षण के समय प्रस्तुत नहीं कियागया, जो चिन्ता का विषय है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उनके थाना में कितने शस्त्र जमा हैं, कब से जमा है एवं क्यों जमा है के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

39- दैनिक एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन :-

पुलिस हस्तक के नियम 59(क) के तहत फार्म संख्या 6ए. में यह प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है । परन्तु आरक्षी निरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदनअनुमण्डल पदाधिकारियों को नहीं भेजा जा रहा है । नियम 59(क) में यह स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि प्रपत्र संख्या 6ए. में, जो नित्य प्रेषित किया जायगा, उन केसों का विवरण रहेगा, जो प्रतिदिन दर्ज होते हैं । आरक्षी निरीक्षक इन रिपोर्टों को अनुमण्डल पदाधिकारी तथा अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी को प्रेषित करेंगे, जो इन्हें क्रमशः जिला मजिस्ट्रेट तथा आरक्षी अधीक्षक को अग्रसारित करेंगे । आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर को निर्देश दिया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को नियमित रूप से दैनिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

लगातार...18/-

40- लूट पंजी :-

यह पंजी इस थाना में संधारित है ।इस पंजी में सर्किल वार घटित लूट की घटना का विवरणी अंकित किया जाता है । पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्किल नं0-।।। से वर्ष 94 में लूट की एक घटनाघटी थी, जिसकी प्रविष्टि की गई है, जिसमें अनुसंधान पूर्ण कर सत्य सूत्रहीन समर्पित किया गया है । वर्ष 1999, 2000 एवं 2001 में लूट की कोई घटना नहीं घटी है । इस पंजी का मिलान आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के डी0सी0बी0 शाखा से दिनांक 22-10-2002 को किया गयाहै ।

41- डकैती पंजी :-

इस थाना में यह पंजी संधारित है । इस पंजी में सर्किलवार घटित डकैती काण्डों का विवरणी अंकित कियाजाता है । साथ काण्ड के फलाफल का उल्लेख भी इस पंजी में अंकित किया जाता है । पंजी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मधेपुर(लखनौर) थाना काण्ड संख्या 109/2002 दिनांक 12-4-2002 धारा 395 भा0द0वि0 ग्राम-लौफा सहनी टोला से प्रतिवेदित है। काण्ड अनुसंधान अन्तर्गत है । पंजी का मिला आरक्षी अधीक्षक , मधुबनी के डी0सी0 बी0 शाखा से दिनांक 22-10-2002 को किया गया है ।

42- गुण्डा पंजी :-

आरक्षी हस्तक के नियम-1316(क) के अनुसार अपराध शैली के अनुसार गुण्डों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके अनुसार निम्नप्रकार के गुण्डा होते हैं :-

(1) शराबी (2) दवाब डालकर पैसा ऐंठने वाले (3) मादक पदार्थों का अवैध कारवार करने वाले (4) महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले (5) काला बाजारी करने वाले (6) दंगाई (7) मुकदमेबाजा (8) तोड़-फोड़ करने वाले (9) संप्रदायवादी (10) छात्रों को भड़काने वाले (11) स्त्रियों एवं लड़कियों का व्यापार करने वाले (12) जुआड़ी (13) छीन-छोर करने वाले एवं (14) रेलगाड़ियों और बसों पर बदमाशी करने वाले ।

पंजी का अवलोकन किया । पंजी के अनुसार इसका मिलान दिनांक 22-10-2002 को आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी के डी0सी0 बी0 कार्यालय से किया गया है ।

43- अपराध आँकड़ा :-

लखनौर थाना के विगत पाँच वर्षों का अपराध आँकड़ा निम्नप्रकार है :-

लगातार.... 19/-

वर्ष	हत्या	डकैती	लूट	गृहभेदन	चोरी	दंगा
1997	-	-	-	2	3(3)	8(8)
1998	-	-	-	3	5(2)	5(5)
1999	1(1)	1	-	-	2(1)	4(4)
2000	3	-	-	2(2)	2(2)	3(3)
2001	-	-	-	1	2	9(8)
2002 (दि022-10-2002 तक)	1(1)	1	-	-	4(3)	6(2)

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मात्र डकैती एवं लूट की घटना को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों(मदों) में अपराध की घटना में वृद्धि हुई है, जो चिन्ताजनक है । इसके रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि सघन अभियान चलाकर क्षेत्र में बढ़ती हुई अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की कार्रवाई करें । अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर एवं आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर अंचल को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है ।

44- प्राथमिकी पंजी :-

थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि चूँकि लखनौर थाना मधेपुर थाना का ही सहायक थाना है, फलस्वरूप इस क्षेत्र में घटनेवाली घटनाओं का प्राथमिकी मधेपुर थाना में ही दर्ज होता है । फिर भी जानकारी के लिए छायाप्रति संधारित की गयी है । प्राथमिकी पंजी के कमांक 1389151 से 1389200 तक का अवलोकन किया जो विधिवत संधारित है । प्राथमिकी पंजी पर मधेपुर(लखनौर) थानाकांड सं0-246/2002 दिनांक 20-10-2002 धारा 447/341/323/379/34 भा0द0वि0 अंतिम प्रविष्टि है ।

45- अप्राथमिकी पंजी :-

अप्राथमिकी पंजी का अवलोकन किया । इसे सादे कागज में तैयार कर संधारित की गई है जिसमें धारा 107, 116, 109, 144, 133 दं0प्र0सं0 एवं धारा 182/211 , 188, 186, 290, भा0द0वि0 से संबंधित प्रतिवेदन निर्गत किया जाता है । इस पंजी का मिलान दिनांक 23-10-2002 को अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर के कार्यालय से किया गया है ।

विगत पाँच वर्षों का अप्राथमिकी आँकड़ा निम्नवत है :-

लगातार...20/-

वर्ष	107/116 दं0प्र0सं0	109 दं0प्र0सं0	144/145 दं0प्र0सं0	133 दं0प्र0सं0	182/211 भा0द0वि0	188 भा0द0वि0	186 भा0द0वि0	290 भा0द0वि0
1997	31	01	06	-	03	-	-	-
1998	47/4	-	07	-	01	-	-	-
1999	48/5	-	10	-	08	-	-	-
2000	49/8	-	06	-	01	-	-	-
2001	39	-	04	-	-	-	-	-
2002	26	-	07	-	02	-	-	-

(दि022-10-2002 तक)

46- रोकड़ बही :-

रोकड़ बही पंजी संधारित है । यह दो भाग में लिखा जाता है । भाग-I में कैदी मद में प्राप्त राशि एवं कैदियों के भोजन कराने में व्यय का विवरण अंकित किया जारहा है । माह-सितम्बर 2002 तक का व्यय उक्त पंजी में लिखा गया है, जिसके अनुसार कैदियों के भोजन मद में 1098/-रूपया व्यय किया गया है । भाग-II में थाना में पदस्थापित पदाधिकारो एवं कर्मियों का वेतन भुगतान का उल्लेख किया गया है, जो माह-सितम्बर, 2002 तक थाना प्रभारो द्वारा लिखा गया है । रोकड़ बहो के अवलोकन से स्पष्टहै कि माह सितम्बर, 2002 में पदाधिकारो एवं कर्मियों के वेतन मद में 55,726/-रूपये प्राप्त हुए थे, जिसकाभुगतान किया गया है । अवशेष शून्य है । सभी प्रमाणक को आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी लेखा शाखा कार्यालय को लौटा दिया गया है ।

47- चौकीदारो पंजी :-

पुलिस हस्तक के नियम -13 के तहत विहित प्रपत्र में चौकीदारो पंजी का संधारण किया गया है । चौकोदारों का उपस्थिति रोजना अंक में दर्ज की जातो है एवं अनुपस्थिति लाल स्याही से इटालियन में अंकित किया जाता है । पंजी को स्थिति दयनीय है, जिसे बाईंडिंग कराने का निर्देश थाना प्रभारो को दिया जाता है ।

चौकोदार/दफादारों के स्वोकृत बल एवं पदस्थापन को स्थिति निम्नप्रकार है :-

लगातार...21/-

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	पदस्थापित बल	रिक्ति	अतिरिक्त
1-	दफादार	2	1	1	
2-	चौकीदार	28	27	1	
	कुल योग :-	30	28	2	

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दफादार का एक पद एवं चौकीदार का एक पद रिक्त है। थानाप्रभारी ने बताया कि इस थाना में एक दफादार एवं 27 चौकीदार कार्यरत है। सर्किल नं0-XIII के दफादार जीवछ सिंह के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके स्थान पर उनका लड़का बंधन सिंह चौकीदार के पद पर कार्यरत है। इस सर्किल में दफादार का एक पद रिक्त है। सर्किल नं0-XIII के बीट नं0-10 के चौकीदार बी/10 मो0 सिद्दिक के सेवानिवृत्त के पश्चात् से रिक्त चला आ रहा है। थानाप्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि दफादार/चौकीदार के रिक्त पदों पर भर्त्ती हेतु नियमानुसार योग्य व्यक्तियों का प्रस्ताव अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें।

स्वीकृत बल के अनुसार पदस्थापित दफादार/चौकीदारों की सूची पूर्ण पता सहित निम्नवत है :-

क्रमांक	बीट संख्या	पदनाम	नाम/पिता का नाम	पता	बीट में पड़ने वाले गाँव का नाम
1-	III	दफादार	अशोक कुमार सिंह पे0 आनन्दी सिंह	ग्राम-कोरियापट्टी	सर्किल नं0-III
2-	III/1	चौकीदार	गफर नदाफ पे0 फरमुद नदाफ।	ग्राम-खैरी टोला	खैरीटोला, लखनौर, कमलदाहा।
3-	III/2	चौकीदार	महेश्वर साह पे0 पिताम्बर साहु	ग्राम-स्पौली	स्पौली।
4-	III/3	चौकीदार	रामदेव पासवान पे0 फकीर पासवान	ग्राम-कोरियापट्टी	कोरियापट्टी, छरपिट्टी, परमेसरा
5-	III/4	चौकीदार	रामभजन पासवान पे0 अयोधी पासवान	ग्राम-बेलही	बेलही, निर्मला।
6-	III/5	चौकीदार	भोला पासवान पे0 मोहन पासवान।	ग्राम-अंकुशी	आँकसी
7-	III/6	चौकीदार	मो0 करबान पे0 उमेद अली।	ग्राम-देयाखरवार	देयाखरवार।

लगातार...22/-

8-	III/7	चौकीदार	पाचु सदाय पे० बुधो सदाय	सा०- कसियाम	कसियाम
9-	III/8	चौकीदार	जय किसुन पासवान पे० महावीर पासवान ।	सा०- गुणाकरपुर	गुणाकरपुर ।
10-	III/9	चौकीदार	मो० हमीद पे० मंगल नदाफ	सा०-गंगापुर	गंगापुर, मेलवा टोल
11-	IV/1	चौकीदार	इस्लाम मंसूरी पे० जन्नत मंसूरी	सा०-लौफा	सोनरे, बोदराही
12-	IV/5	चौकीदार	लक्ष्मी खतवे पे० किसुन खतवे	सा०- बेलौंचा	बेलौंचा
13-	IV/6	चौकीदार	किसमत मंसूरी पे० जीवछ नदाफ	सा०-पूरे	पूरे
14-	IV/7	चौकीदार	मो० समीक नदाफ, पे० मो० सुलेमान नदाफ	सा०- जोरला	जोरला ।
15-	IV/8	चौकीदार	अलीहसैन नदाफ पे० सलाही नदाफ	सा०-डमरी	डमरी
16-	IV/9	चौकीदार	फसियाही सदाय पे० बौक सदाय	सा०- बलिया	बलिया खेरो ।
17-	IV/13	चौकीदार	बन्धीन सिंह पे० जीवछ सिंह	सा०- कछुवी	कछुवी
18-	XIII/1	चौकीदार	उमेश पासवान पे० फुदन पासवान	सा०-बथनाहा ।	बथनाहा ।
19-	XIII/2	चौकीदार	कमल पासवान पे० पे० फुचाई पासवान ।	सा०- कछुआ टोले बलुआहा नन्देनगर	
20-	XIII/3	चौकीदार	गंगाराम यादव पे० महावीर यादव	सा०- तमुरिया	तमुरिया ।
21-	XIII/4	चौकीदार	राम रतन पासवान पे० यदुनन्दन पासवान ।	सा०- बिहारपुर	बिहारपुर, सोन्मर्षा ।
22-	XIII/5	चौकीदार	सुनील कुमार पासवान पे० नन्द पासवान ।	सा०- कछुवी	कछुवी, विशनपट्टी ।
23-	XIII/6	चौकीदार	श्रीलाल पासवान पे० सीताराम पासवान ।	सा०- भेवी	भेवी
24-	XIII/7	चौकीदार	पृथम लाल पासवान पे० जालेश्वर पासवान ।	सा०-कछुवी	कछुवी
25-	XIII/8	चौकीदार	जोतन पासवान पे० ठोठर पासवान ।	ग्राम- कछुवा टोले बलुआही	सिवेसिंहपुर ।

लगातार...23/-

26-	x111/9	चौकोदार	मो0 सिद्दिक पे0 मो0 सौफी नदाफ	ग्राम- नेमुआ	नेमुआ ।
27-	x111/11	चौकोदार	मो0 इलियास मंसरी पे0- मो0 सलामती नदाफ	ग्राम-सोनरे	सोनरे, बोदराही ।
28-	x111/12	चौकोदार	ठीठर पासवान पे0 गोनर पासवान	सा0- कछुआ टोले, बलुआही	कछुआ ।

48- चौकोदार डिसमोजीशन पंजी :-

चौकोदार डिसमोजीशन पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है एवं अद्यतन है ।

49- मालखाना पंजी :-

थाना प्रभारी ने बताया कि मालखाना के प्रभार में अवर निरीक्षक शशिभूषण सिंह थे, जिनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31-1-2002 को हो गया है । उनके द्वारा प्रभार नहीं सौंपने के कारण वर्त्तमान थाना प्रभारी द्वारा प्रभार ग्रहण नहीं किया गया है । थाना प्रभारी ने बताया कि सेवानिवृत्त अ0नि0 शशिभूषण सिंह को सूचित करने हेतु आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से अनुरोध किया गया है । वर्त्तमान में अलग से पंजी को संधारित किया जा रहा है । थाना प्रभारी को पुनः निर्देश दिया जाता है कि आरक्षी अधीक्षक कार्यालय से सेवानिवृत्त अ0नि0 शशिभूषण सिंह के बारे में छानबीन कर उन्हें अविलम्ब मालखाना का प्रभार सौंपने हेतु कार्रवाई की जाय । यदि 15 दिनों के अन्दर श्री सिंह द्वारा प्रभार नहीं सौंपा जाता है तो अंचल अधिकारी, लखनौर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त होकर मालखाना का इन्भेन्ट्री तैयार करवाकर वर्त्तमान थाना प्रभारी को प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे ।

50- पत्राचार :-

बिहार पुलिस हस्तक के नियम 912 के तहत प्रपत्र संख्या 119 अ. में प्राप्त पत्रों की पंजी एवं प्रपत्र 119 आ. में निर्गत पत्रों की पंजी संधारित करना है, जिसमें §1§ न्यायालय से संबंधित §2§ विभाग से संबंधित §3§ सीमावर्त्ती थाना से संबंधित एवं §4§ आम जनता से संबंधित पत्रों को संधारित करना है । थाना प्रभारी को इसे सही ढंग से संधारित करने करने का निर्देश दिया गया ।

51- लंबित विशेष प्रतिवेदित काण्डों की विवरणी :-

लगातार...24/-

क्रमांक	काण्ड संख्या	दिनांक	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण
1-	46/98	22-3-98	406/420/120(बी)भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 टुड्डू	गिरफ्तारी हेतु ।
2-	180/2001	18-8-2001	406/420/467/468/120(बी) भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 टुड्डू	गिरफ्तारी हेतु ।
3-	46/2002	6-2-2002	447/452/380/420/495/ 307 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0 के0 यादव	
4-	109/2002	12-4-2002	395 भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 टुड्डू	संदिग्धों की गिरफ्तारी हेतु ।
5-	166/2002	19-6-2002	147/148/149/323/452/ 436/330/504 भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 टुड्डू	पर्यवेक्षण टिप्पणी के निर्देशों का अनुपालन करना ।
6-	191/2002	2-8-2002	147/427/452/380/436 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट ।	स0अ0नि0 हरिशंकर राम	अनुसंधान हेतु ।
7-	224/2002	12-9-2002	409/420/468/469/ 471 भा0द0वि0	अ0नि0 एम0 टुड्डू	अनुसंधान हेतु ।

उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1998 का एक काण्ड भी लंबित है । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित काण्डों के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

52- लंबित अविशेष काण्डों की विवरणी :-

इस थानान्तर्गत लंबितअविशेष काण्डों की विवरणी निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	काण्ड संख्या	तिथि	धारा	अनुसंधानकर्त्ता का नाम	लंबित का कारण ।
1-	34/2002	22-2-2002	342/323/324/326/307/ 34 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0 के यादव	गिरफ्तारी हेतु ।
2-	234/2001	8-10-2001	341/323/324/307/504/ 34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0पी0श्रीवास्तव	गिरफ्तारी हेतु ।
3-	18/2002	20-1-2002	341/323/324/307 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0पी0 श्रीवास्तव	

लगातार....-25/-

4-	75/2002	11-3-2002	342/323/324/326/307/379/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0पी0श्रीवास्तव	गिरफ्तारी हेतु ।
5-	123/2002	1-5-2002	379/411/34 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0 के यादव	
6-	145/2002	24-5-2002	461/379/411 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0पी0श्रीवास्व	गिरफ्तारी हेतु ।
7-	154/2002	10-6-2002	279/338 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0पी0 श्रीवास्तव	गाड़ी को जप्त करना एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार करना ।
8-	190/2002	30-7-2002	143/379 भा0द0वि0	स0अ0नि0आर0पी0श्रीवास्व	गिरफ्तारी हेतु ।
9-	228/2002	16-9-2002	341/447/323/379/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 हरिशंकर राम	अनुसंधान हेतु ।
10-	234/2002	30-9-2002	147/149/323/324/452/380/504 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0पी0श्रीवास्तव	गिरफ्तारी हेतु ।
11-	235/2002	30-9-2002	341/323/324/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0पी0श्रीवास्तव	गिरफ्तारी हेतु ।
12-	238/2002	5-10-2002	341/323/379/504/ भा0द0वि0	स0अ0नि0 हरिशंकर राम	
13-	239/2002		452/341/323/380/504/34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 आर0पी0श्रीवास्तव	गिरफ्तारी हेतु ।
14-	243/2002		341/323/324/379/504/34 भा0द0वि0	अ0नि0 एस0 टुडडू	गिरफ्तारी हेतु ।
15-	246/2002	21-10-2002	447/341/323/379, 34 भा0द0वि0	स0अ0नि0 हरिशंकर राम	अनुसंधान हेतु ।

53- सम्मान गार्ड :-

निरीक्षण हेतु पहुँचने पर सम्मान गार्ड कवायद द्वारा अधोहस्ताक्षरी को सलामी दी गयी । सभी आरक्षियों का टर्न आउट अच्छा रहा ।

54- थाना प्रभारी के कर्त्तव्य :-

थाना प्रभारी से पूछने पर कि उनका कर्त्तव्य क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया जबकि उन्हें प्रशिक्षण अवधि में ही इसकी

लगातार..26/-

जानकारी दे दी जाती है । बिहार पुलिस हस्तक के नियम 8।§क§ में थाना प्रभारी का क्या कर्त्तव्य है,उसकी विवरणी निम्नवत है:-

§क§ अधिक्षेत्र वासियों की गहरी जानकारी तथा उनका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करना ।

§ख§ अपराध और अपराधियों ,संदिग्ध व्यक्तियों और अजनबियों के संबंध में चौकीदारों से यथारीति और अविलम्ब ब्यौरे प्राप्त करना ।

§ग§ अपराधियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखना ।

§घ§ अपराध-निर्देशिका तथा निगरानी अभिलेखों को यत्न से रखना तथा मनन करना ।

§ड०§स्थान गश्त की व्यवस्था करना ।

§च§ आपजीविका के केसों में अभियोजन रिपोर्ट उपस्थापित करना ।

§छ§ सीमावर्त्ती थानों के अधिकारियों के साथ अधिक से अधिक सहयोग करना ।

थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के साथ-साथ अन्य निर्देशों का अनुपालन सख्ती से करें ।

55- अन्यान्य :-

§क§ जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में पी०पी० द्वारा प्रायः शिकायत की जाती है कि अनुसंधानकर्त्ता की डायरी के अभाव में बहुत सारे मामलों में एक्युटल का सामना करना पड़ता है । अतः थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि गवाह प्रोडक्शन के लिए जो सम्मन भेजे जाते हैं,उसका तामिला निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे एवं केस डायरी की मांग किये जाने पर तत्समय उपलब्ध करायेंगे ।

§ख§ ए०पी०पी० द्वारा जिला विधि अनुश्रवण समिति की बैठक में जानकारी दी जाती है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के अभाव में कांडों के निष्पादन में कठिनाई होती है । अतएव, थाना प्रभारी लंबित कांडों के अनुसंधान का कार्य त्वरित गति से निष्पादित कराते हुए प्रतिवेदन समर्पित करेंगे ।

§ग§ नीलाम-पत्र वादों में निर्गत डी०डब्लू० एवं बी० डब्लू० का सख्ती से कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित करें ताकि,प्रमादी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके एवं राजस्व की वसूली में प्रगति लाई जा सके ।

§घ§ भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालें । अतिक्रमण हटाने/शांति-व्यवस्था कायम करने में प्रखंड विकास पदाधिकारी/

लगातार...27/-

अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर, नियमित सम्पर्क कर अपेक्षित सहयोग दें ।

§च§ गरीब एवं असहाय व्यक्ति/अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति पूर्ण सहानुभूति रखें एवं उनके साथ सहृदयता से पेश आयें ।

§छ§ भूमि विवाद/नीलाम-पत्र वाद से संबंधित मामलों के निष्पादन में दफादार/चौकीदारों को माह में एक बार अंचल अधिकारी के पास अवश्य भेजें जायें ताकि उनके सहयोग से प्रमादी व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर राशि की वसूली की जा सके ।

§ज§ चौकीदारी परेड का निरीक्षण के दौरान सभी चौकीदारों को निर्देश दिया गया कि गाँव के बारे में, असामाजिक तत्वों के बारे में एवं अन्य गतिविधि के संबंध में थाना को निश्चित रूप से सूचना दें । साथ ही नीलाम-पत्र वाद में सम्मिलित राशि की वसूली में अंचल अधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करें । चौकीदारों के परेड के निरीक्षण के क्रम में चौकीदारों ने बताया कि विगत 6-7 माह से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है । इस संबंध में उपस्थित खण्ड विकास पदाधिकारी, लखनौर से पूछने पर उन्होंने बताया कि इंद्रापुर कोषागार में विपत्र भेजा जा चुका है, एक -दो दिन में भुगतान कर दिया जायगा ।

56- निष्कर्ष :-

कुल मिलाकर इस थाना का कार्य-कलाप संतोषप्रद कहा जा सकता है । थाना प्रभारी का हस्तलेखन बहुत अच्छा है । थाना प्रभारी बहुत मेहनती भी हैं । थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि थाना में संधारित सभी पंजियों में पृष्ठों का सत्यापन पंजी के प्रथम पृष्ठ पर अवश्य करें ताकि पारदर्शिता बनी रहे । निरीक्षण के क्रम में जो त्रुटियाँ पाई गई है, उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देश के आलोक में समय-सीमा के अन्दर दूर करना सुनिश्चित करें । यदि इस निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देश का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाता है तो निश्चित रूप से थाना के कार्य-कलाप में गुणात्मक सुधार आ सकता है ।

ह0/-डा0बी0राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

लगातार..28/-

ज्ञाप संख्या 1624 ।सामान्य, मधुबनी, दिनांक 31 अक्टूबर, 2002 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि गृह सचिव, गृह(आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक(प्रशासन), बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा परिक्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आरक्षी निरीक्षक, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि थानाप्रभारी, लखनौर थाना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 30.10.2002

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।